संख्या- 51/2021/693/छप्पन-2021-11/2013टी0सी0-2

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 2021

विषय: जनपद अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु 08 राजस्व ग्रामों की पुनरीक्षित मास्टर प्लान के अनुसार चयनित भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों के विस्थापन हेतु मूल्यांकित धनराशि रू0 1,14,77,81,203/- के सापेक्ष निजी भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों को हटाए जाने हेतु रू0 99,13,48,582/- के व्यय का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-599/आर0सी0एस0-2021-एफ-1/2018 दिनांक 12 मार्च, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु 08 राजस्व ग्राम- जनौरा (बा0न0पा0), गंजा, धर्मपुर सहादत, पूरा हुसैन खाँ, फिरोजपुर, सरेठी, नन्दापुर व कुशमाहा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, अयोध्या की पुनरीक्षित मास्टर प्लान के अनुसार चयनित भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु आयोजित ''जिला (मध्यम एवं वृहद् परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 01 मार्च, 2021 में निर्धारित, परिसम्पत्तियों की कुल मूल्यांकित लागत रू0 1,14,77,81,203/- (रूपए एक अरब चौदह करोड़ सतहत्तर लाख इक्यासी हजार दो सौ तीन मात्र) पर अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जनपद अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु 08 राजस्व ग्रामों की पुनरीक्षित मास्टर प्लान के अनुसार चयनित भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों के विस्थापन हेतु मूल्यांकित धनराशि रू0 1,14,77,81,203/- के सापेक्ष निजी भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों को हटाए जाने हेतु रू0 99,13,48,582/- (रूपए निन्यानवे करोड़ तेरह लाख अड़तालीस हजार पॉच सौ बयासी मात्र) पर अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

किये जाने हेतु भूमि क्रय के लिए निम्नलिखित शासनादेशों से निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि में से व्यय का अनुमोदन प्रदान कर दिया जाए:-

(धनराशि रूपए में)

क्र0	शासनादेश संख्या/दिनांक	विषय	अवमुक्त धनराशि
1	25/2019/436/छप्पन-2019-11/2013 दिनांक 05 मार्च, 2019	अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय के लिए वित्तीय स्वीकृति।	रू0 2,00,00,00,000/-
2.	63/2019/1235/छप्पन-2019-11/2013 दिनांक 01 जुलाई, 2019	अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय के लिए वित्तीय स्वीकृति।	रू0 2,00,00,00,000/-
3.	94/2019/1884/छप्पन-2019-11/2013 दिनांक 01 नवम्बर, 2019	अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय के लिए वित्तीय स्वीकृति।	रू0 1,25,91,89,242/-
4.	12/2021/223/छप्पन-2021-11/2013 दिनांक 04 फरवरी, 2021	अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में अतिरिक्त भूमि का क्रय किए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	रू0 1,00,00,00,000/-
5.	28/2021/423/छप्पन-2021-11/2013 दिनांक 25 फरवरी, 2021	अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में अतिरिक्त भूमि का क्रय किए जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	रू0 3,21,99,50,720/-
6.	47/2021/679/छप्पन-2021-11/2013 दिनांक 24 मार्च, 2021	अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु भूमि क्रय के लिए वित्तीय स्वीकृति ।	रू0 53,86,25,139/-
योग			**रू0 10,01,77,65,101/-**

3- उल्लेखनीय है कि जनपद अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु 08 राजस्व ग्रामों की पुनरीक्षित मास्टर प्लान के अनुसार चयनित भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों के विस्थापन हेतु रू0 99,13,48,582/- (रूपए निन्यानवे करोड़ तेरह लाख अड़तालीस हजार पॉच सौ बयासी मात्र) के व्यय के पश्चात् कालान्तर में प्रश्नगत धनराशि के समायोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने पर विचार किया जाएगा।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु 08 राजस्व ग्रामों की पुनरीक्षित मास्टर प्लान के अनुसार चयनित निजी भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों के विस्थापन हेतु, अयोध्या स्थित

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय के लिए उक्त तालिका के अनुसार निर्गत शासनादेशों द्वारा अवमुक्त की गई कुल धनराशि रू0 10,01,77,65,101/- (रूपए दस अरब एक करोड़ सतहत्तर लाख पैंसठ हजार एक सौ एक मात्र) के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि में से चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 में धनराशि रू0 99,13,48,582/- (रूपए निन्यानवे करोड़ तेरह लाख अड़तालीस हजार पॉच सौ बयासी मात्र) के व्यय की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमोदन प्रदान करती हैं।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-640/दस-2021, दिनांक 27 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

संख्या- 51/2021/693(1)/छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

3- मण्डलायुक्त, अयोध्या।

4- जिलाधिकारी, अयोध्या।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, अयोध्या।

6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

7- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13

9- समीक्षा अधिकारी (बजट)।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।